


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.19(04)शिक्षा-2/2019 दिनांक: 09/02/2021 की पालना में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों/आश्रम छात्रावासों/कार्यालयों में रिक्त पदों पर चयनित निम्नांकित कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति "राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम-144 "क" के तहत एक वर्ष के लिए उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या 6 में अंकित स्थानों पर किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अतः सम्बन्धित सभी नियन्त्रक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि तत्काल उक्त कार्मिकों को पदस्थापित स्थान हेतु कार्यमुक्त कर इस कार्यालय को अवगत करावें।


क्र.सं.	कार्मिक का नाम	मूल पद	वर्तमान पदस्थापन स्थान	प्रतिनियुक्ति पर पदनाम	प्रतिनियुक्ति पर आवासीय विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
01.	सीता मीणा	वरिष्ठ अध्यापक (विज्ञान)	रामावि मूंडघसा त. हिण्डोली, जिला बून्दी	वरिष्ठ अध्यापक (विज्ञान)	ईएमआरएस, निवाई, टोंक
02.	श्री राम लाल मीणा	शारीरिक शिक्षक	राजकीय उमावि. नौगांवा, पं.स. अरनोद जिला प्रतापगढ़	अधीक्षक	जनजाति बालक आश्रम छात्रावास अरनोद, प्रतापगढ़


 (सौरभ स्वामी)
 आई.ए.एस.
 निदेशक
 माध्यमिक शिक्षा
 राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/एफ-3/13401/आ.विद्यालय(टी.ए.डी)/प्रतिनियुक्ति/2020/43 दिनांक 3.02.2021

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
- 2- आयुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
- 3- संयुक्त निदेशक, (स्कूल शिक्षा), कोटा/उदयपुर संभाग।
- 4- संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा बून्दी/प्रतापगढ़।
- 5- संबंधित मुख्य मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
- 6- प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 7- संबंधित संस्था प्रधान/कार्मिक।
- 8- रक्षित पत्रावली।


 संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)